HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. A/781 Jabalpur, dated 20.4.2017.
III-6-4-72

The copy of the order of the Government of M.P. No. 935/1232/2017/L-2, Bhopal dated 18.4.2017 passed as per the provisions of Rule 6(7) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules, 2016 are forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges, All in the State for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer also,
5. The Director, M.P. State Judicial Academy, Jabalpur for kind information and necessary action,
6. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action and
7. The Registrar (IT) for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

20.4.2017

(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 18/4/17

क्रमांक 935 / 1232 / 2017 / 50–2 : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण), नियम, 2016 के नियम 6(7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्यदिवसों के बारे में प्रावधानित है कि –"बोर्ड सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य–समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस सम्बंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लम्बित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डो का गठन न किया हो।"

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 1.3.2017 की स्थिति में विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों में लम्बित मामलों की संख्या की समीक्षा करते हुये पत्र क्रमांक B/15–18/III-6-4/72 दिनांक 10.3.2017 द्वारा प्रदेश के किशोर न्याय बोर्ड में कार्य दिवसों की संख्या प्रस्तावित कर आदेश जारी करने हेतु लेख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम क्रमांक 3 अनुसार कार्य दिवस निर्धारित करता है:–

स.क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	बोर्ड बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1	अनूपपुर, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सतना, सिंगरौली, विदिशा एवं मंडलेश्वर	सभी कार्य दिवस
2	अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाडा, दतिया, धार, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कटनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया	3 दिन (सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार)
3	आगर–मालवा, अलीराजपुर, भोपाल, दमोह, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मंडला	2 दिन(मंगलवार एवं शुक्रवार)
4	बडवानी, देवास, पन्ना, रायसेन एवं श्योपुर	1 दिन (बुधवार)

(पंकज शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0कमांक 938 / 1232 / 2017 / 50:2 भोपाल, दिनांक 18/4/17

प्रतिलिपि –

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला समस्त मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
7. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
8. सम्भागीय संयुक्त संचालक / उपसंचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
9. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी , जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
10. अनुभाग अधिकारी–2 / गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग